बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

पत्रांक-5/आ02-1034/2014- 918 पटना, दिनांक- 31.10.16

मो0 जमीरूद्दीन अंसारी, तत्कालीन सहायक अभियंता (असैनिक) लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज, औरंगाबाद सम्प्रति लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, डेहरी ऑनसोन, रोहतास के विरूद्व औरंगाबाद जिला अन्तर्गत दुधार ग्रामीण जलापूर्ति पुनर्गठन योजना के कार्यान्वियन में अनियमितता बरतने का मामला संज्ञान में आया। उक्त आरोपों के आलोक में जांचोपरांत समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि मो0 अंसारी के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होते हैं तथा सरकारी सेवक के रूप में मो0 अंसारी का प्रतिकूल आचरण है। फलतः उनके विरूद्व आरोप प्रपत्र 'क' में आरोप गठित किया गया।

(2) वर्णित परिप्रेक्ष्य में मो0 अंसारी के विरूद्ध अभिकथित आरोपों के लिए बिहार राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि मो0 जमीरूद्दीन अंसारी, सहायक अभियंता (असैनिक) लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज, औरंगाबाद सम्प्रति लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, डेहरी ऑनसोन, रोहतास के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 (2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार राज्यपाल विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री एस0सी0 मिश्रा, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं श्री नारायण शंकर झा, कार्यपालक अभियंता (मो0/मु0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

(3) आरोपित मो0 अंसारी, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

(4) जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में विहित प्रावधानों के अनुसार जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(5) **आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ मो0 जमीरूद्दीन अंसारी, सहायक अभियंता (असैनिक) लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज, औरंगाबाद सम्प्रति लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, डेहरी ऑनसोन, रोहतास जांच संचालन पदाधिकारी, श्री एस0सी0 मिश्रा, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री नारायण शंकर झा, कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

31.10.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-1034/2014- 918 पटना, दिनांक- 31.10.16

(2) प्रतिलिपि:-आरोप प्रपत्र 'क' की प्रति के साथ जांच संचालन पदाधिकारी, श्री एस0सी0 मिश्रा, मुख्य अभियंता रूपांकण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री नारायण शंकर झा, कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-1034/2014- 918 पटना, दिनांक- 31.10.16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

अपर सचिव